लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक, श्री राजेश कुमार शर्मा, पिता–श्री मुरली प्रसाद शर्मा, पता–नजदीक हनुमान पथ, तिलकामांझी, जगदीशपुर, भागलपुर के द्वारा गेरूआ नदी यूनिट–1 (ब्लॉक–1–7) बालू घाट, मौजा–गोविंदपुर, विश्वपुर, बैसा, नगडाहा एवं चकनत्थू, अंचल–सन्हौला, जिला–भागलपुर में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 29.08.2023 को अपराहन् 02:00 बजे अंचल कार्यालय सन्हौला, जिला–भागलपुर** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2391/2023, दिनांक 26.06.2023 के आलोक में महफूज आलम, अपर समाहर्ता, भागलपुर की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''प्रभात खबर'' एवं ''दैनिक भास्कर'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **31.07.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा गेरूआ नदी यूनिट–1 (ब्लॉक–1–7) बालू घाट, मौजा–गोविंदपुर, विश्वपुर, बैसा, नगडाहा एवं चकनत्थू, अंचल–सन्हौला, जिला–भागलपुर में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा यूनिट–1 (ब्लॉक–1–7) में 34.03 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 367524 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹273.44 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के यूनिट–1 (ब्लॉक–1–7) को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निकलने वाले बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देगा खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री अनिल कुमार मंडल, ग्राम–धुरिया, भागलपुर के द्वारा भूजल स्तर नीचे जाने से पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का प्रश्न उठाया गया तथा पर्यावरण के मद में आवंटित राशि का समुचित उपयोग किये सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया।	भूजल स्तर नीचे जाने की समस्या सिर्फ भागलपुर या किसी विशेष क्षेत्र का नहीं है। यह एक राज्यव्यापी समस्या है। इसके कई कारण हैं। वर्तमान परियोजना में सिर्फ 1 मीटर की गहराई तक ही खनन की अनुमति है। पर्यावरणीय सामाजिक दायित्व के मद में आवंटित राशि के उपयोग की निगरानी ग्रामीणों के द्वारा की जाय एवं इसमें अनियमितता पाये जाने पर इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को दी जा सकती है।
2.	श्री गौरीशंकर मतवाला, ग्राम–महियामा, जिला जदयू सचिव के द्वारा नदी का जलस्तर बरकरार रखने के लिए चेकडैम का निर्माण कराने एवं अवैध बालू उठाव न हो यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।	प्राप्त सुझाव को उपयुक्त विभाग के समक्ष रखा जायेगा एवं वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। खनन की नियमित रूप से जिला खनन विभाग एवं प्रशासन द्वारा निगरानी की जाती है। नियमानुसार अनुपालन न होने पर अथवा अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना, जब्ती इत्यादि की कारवाई की जाती है।
3.	मो0 गुलाम, बथानी, भागलपुर के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों की रोजगार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में 41 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार में वरीयता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अन्य कई अवसर सृजित होंगे।
4.	नजीरउद्दीन, नाननपईर, भागलपुर के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन किया गया।	
5.	श्री हिटलर झा, तारर पंचायत, भागलपुर के द्वारा तारर बालू घाट के टेंडर के विषय में पुछा गया तथा अवैध खनन रोकने हेतु अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना तारर बालू घाट से संबंधित नहीं है। खनन की नियमित रूप से जिला खनन विभाग एवं प्रशासन द्वारा निगरानी की जाती है। नियमानुसार अनुपालन न होने पर अथवा अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना, जब्ती इत्यादि की कारवाई की जाती है।
6.	श्री चंचल प्रसाद मंडल, गोविंदपुर, भूतपूर्व सरपंच, भुरिया, महियामा, भागलपुर के द्वारा परियोजना का समर्थन करते हुए नियमानुसार खनन सुनिश्चित करने तथा रोजगार की व्यवस्था करने का अनुरोध	प्रस्तावित परियोजना में विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप खनन किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में 41 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर

	किया गया।	रोजगार में वरीयता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अन्य कई अवसर सृजित होंगे।
7.	श्री पवन मंडल, महियामा, भागलपुर के द्वारा प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने का आशा करते हुए परियोजना का समर्थन किया गया।	

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्याएं भी साथ में आती हैं इनका निराकरण एवं प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में गाइडलाइन के अनुसार खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाय ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। नियमानुसार खनन होने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से भी होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

29-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

29/08/23
अपर समाहर्ता
भागलपुर।

उपस्थिति सूची

मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज, श्री राजेश कुमार शर्मा, पिता-श्री मुरली प्रसाद शर्मा, नजदीक हनुमान पथ, तिलकामांझी, जगदीशपुर, भागलपुर द्वारा गेरूआ नदी स्थित ''गेरूआ यूनिट-1 (ब्लॉक-1-7)'' बालू घाट, मौजा-गोविंदपुर, विश्वपुर, बैसा, नगडाहा एवं चकनत्थू, अंचल-सन्हौला, जिला-भागलपुर का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29.08.2023 को अपराहन् 02:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः अंचल कार्यालय, सन्हौला, जिला-भागलपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री महफूज आलम	अपर समाहर्त्ता - सह - अध्यक्ष भागलपुर	[signature] 29/08/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll' Control Board	[signature] 29-8-2023
3.	श्री केशव कुमार पासवान	खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर	[signature] 29.08.2023
4.	Amish Kumar	Asst Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 29/08/23
5.	Praveen K Roy	Env. Consultant.	[signature]
6.	Rajesh Kumar 812003	Tilkamanjhi Bhagalpur	Rajesh Kumar 29/8/23
7.	Gulam Rabbani	Bayedih	Gulam Rabbani
8.	Iftekhar	Baisa	Nashtar
9.	Shahnawaz	Baisa	शाहनवाज
10.	चंचल प्रसाद मंडल	भूतपूर्व सरपंच मुखिया-प्रतिनिधि	[signature]

11.	नजीर उद्दीन	लालबदहलिया	नजीर उद्दीन
12.	मो० सहाना ओ० सराफ	विरदल राधा	सराफ
13.	नकुल पासवान	रसुलमनिया	नकुलपासवान
14.	प्रीतम कुमार सिंह	सुरमनियाँ	प्रीतम कुमार सिंह
15.	महेन्द्र पासवान	सुरमनियाँ	महेन्द्र पासवान
16.	अरविन्द पासवान	"	अरविन्द पासवान
17.	राधेप्रसाद सिंह	"	[illegible]
18.	Ramu [illegible]	"	Ramu [illegible]
19.	जलधर महलदार	नगदाहा	जलधर महलदार
20.	संजीव कुमार रजक	नगदाहा	संजीव कुमार रजक
21.	अनिल कुमार मंडल	गुड़िया	अनिल कु० मंडल
22.	गौरीशंकर मतवाला जेदयू जिलाअध्यक्ष भागलपुर	महियामा	गौरीशंकर मतवाला जदयू 9931897134
23.	पवन मंडल जदयू प्रखण्ड महासचिव [illegible]	महियामा	पवन मंडल 9931946854
24.	मो० फैयाज	नगवालु	मो० फैयाज
25.	मो० जहांगीर	रामगंज	मु० जहांगीर

26.	रामलाल चौधरी	नगाडहा	रामलाल चौधरी
27.	IMRAN	उत्तवारा	IMRAN
28.	रविन्द्र मंडल	हरिरया	रविन्द्र मंडल
29.	शहनवाज	चारनमाजो	शहनवाज
30.	इस्तखार	चरखमजा	इस्तखार
31.	सजीम आलम	चरखमजा	सजीम आलम
32.	मु० अरशद	बैसा	७१११ ५२१७ मु० अरशद
33.	मुनेश्वर यादव	महियामा	मुनेश्वर यादव
34.	कपूरपुर बबलो किठ०	कपूरपुर	बबलो किठ 98013
35.	~~[illegible]~~ निमल कुमार	कोलकाचाह	निमल कुमार
36.	राजू कुमार	कोलकापुरर	राजू कुमार
37.	मु० शहादत	बैसा	md Shahadat
38.	मुकेशचन्द्र	महियामा गोविन्दपुर	Mukeshchan
39.	सुभाष यादव	महियामा	सुभाष यादव
40.	सोहन सेठ	रामपुर	सोहन सा

41.	निरज कुमार साह	रसलपुर	Niraj Kumar Sah
42.	ज्योतिष मंडल	बिशवाशपुर	Jyotish Mandal
43.	अनिल मंडल	बिशवासपुर	अनिल मंडल
44.	अम्बिका शर्मा	नगोला	Ambika Shar
45.	विश्वजीत	अमौना	[illegible]
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			